



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 1286/2025

हरिपाल

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 20 अन्य ... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – शिव कुमार

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, दिलीप कुमार पाण्डेय

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव कुमार और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आशुतोष श्रीवास्तव को सुना।
- जनहित में दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने ग्राम- मद्हुसा, परगना और तहसील- महोली, जिला- सीतापुर में स्थित गाटा संख्या 156, 151, 30, 140, 700, 146, 437, 99, 188, 332, 406, 312, 31, 122, 315, 388, 659, 671, 61, 100, 131, 140, 43, 146, 440, 443, 481, 489, 498, 511, 18 मिनजुमला, 395 मिनजुमला, 636, 624, 733, 84, 941, 593, 631 मिनजुमला और 905 मिनजुमला से अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है।
- याचिका के प्रस्तर 7 में अस्पष्ट रूप से कहा गया है कि निजी प्रतिवादी भी उसी गाँव के निवासी हैं और उन्होंने भूमि पर अतिक्रमण किया है। याचिका में कुल 17 निजी व्यक्तियों को विरोधी पक्षकार बनाया गया है और सम्पूर्ण याचिका में यह उल्लेख नहीं है कि किस विरोधी पक्षकार ने किस भूमि के किस भाग पर अतिक्रमण किया है।
- महोली के उपजिलाधिकारी द्वारा दिए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने सूचित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किया है कि याचिका में उल्लिखित सभी सार्वजनिक उपयोगिता भूमि का निरीक्षण एवं सीमांकन किया गया था और सीमांकन बिंदु स्थापित किए गए थे। किसी भी भूमि पर अतिक्रमण नहीं पाया गया।

5. ऐसा प्रतीत होता है कि यह रिट याचिका जनहित में विरोधी पक्षकारों से कुछ हिसाब चुकता करने के उद्देश्य से दायर की गई है।

6. तदनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि यह रिट याचिका अपर्याप्त दलीलों और झूठे दावों के साथ, किसी गुप्त उद्देश्य से दायर की गई है, जो विधि का घोर दुरुपयोग है।

7. तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

8 जनवरी, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)